# अल्पकालीन निविदा सूचना

जिला पंचायत, बागपत के समस्त पंजीकृत ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि जिला पंचायत बागपत को वित्तीय वर्ष 2017–18 में शासन से प्राप्त राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश की सभी गड्ढामुक्त सडकों को 15 जून, 2017 तक गड्ढामुक्त करने के अभियान के अन्तर्गत शासनादेश सं0 642/33–2–17–37जी/17, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 व शासनादेश सं0 670/33–2–17–56जी/17, दिनांक 19 अप्रैल, 2017 के अनुपालन में जनपद बागपत में जिला पंचायत, बागपत द्वारा विभिन्न सडकों को गड्ढामुक्त करने हेतु निविदा दिनांक 23.05.2017 से दिनांक 29.05.2017 सायं 2:00 तक निविदा आमंत्रित की जाती है, जो वेब–साईट http//etender.up.nic.in से पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा डाउलोड की जा सकती है। जिसे निविदा समिति के समक्ष दिनांक 29.05.2017 को सायं 3:00 खोली जायेगी। प्रत्येक निविदा के साथ 2 प्रतिशत धरोहर धनराशि की राष्ट्रीय बैंक की डी0डी0 जो अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बागपत के पदनाम में बंधक कर की प्रति पोर्टल पर लोड करनी होगी। बिटुमिन आपूर्ति की व्यवस्था स्वंय ठेकेदार द्वारा रिफाईनरी से की जायेगी तथा उसका बिल प्रपत्र (सी.आर.सी.) कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उसके उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। 10.00 लाख से ऊपर की परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति शासन से प्राप्त होने पर ही अनुबन्ध की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। निर्माण कार्यो का विवरण एवं शर्ते किसी भी कार्यदिवस में और कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जनपद की वैबसाईट http//baghpat.nic.in से डाउनलोड कर विस्तृत विवरण देखा जा सकता है। किसी भी दशा में अनुबन्ध से पूर्व हुए कार्य को श्रमदान माना जायेगा। किसी भी कठिनाई के लिए किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय से सम्पर्क कर सकते है। कार्यो का विवरण/प्रतिबन्ध निम्नवत् है–

1– कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व तथा कार्य समाप्ति तक प्रत्येक चरण का फोटोग्राफ प्रस्तुत करने और निर्माण कार्य का बोर्ड सुरक्षित लगा रहने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी, ऐसा न करने पर ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जायेगा।

2– प्रत्येक निर्माण 50 प्रतिशत पूर्ण होने एवं संतोषजनक स्थिति की रिपोर्ट आने पर ही अभियन्ता द्वारा भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

3– एक ठेकेदार द्वारा एक साल्वेंसी सर्टिफिकेट एक ही विभाग में प्रयोग की जाएगी। कुछ साल्वेंसी सर्टिफिकेट को बैंक एवं आयकर विभाग से भी सत्यापन कराए जाएगें और ठेकेदारों द्वारा फर्जी एवं गलत आर्थिक स्थिति/साल्वेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया जाना, पाये जाने पर उनके विरूद्व कार्यवाही की जाएगी।

4– किसी भी ठेकेदार को ठेका दिये जाने के पश्चात कभी भी यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित ठेकेदार उपरोक्त में से किसी नियम के अनुसार ठेका पाने के लिए अनर्ह था, या सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यो एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध अथवा पट्टा या ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। निरस्तीकरण से पूर्व कारण बताओं नोटिस अवश्य दी जाएंगी।

5– निविदादाता जिला पंचायत बागपत का पंजीकृत ठेकेदार हो तथा निविदाएं ई–टेण्डरिंग के माध्यम से डाउनलोड व अपलोड की जाएंगी।

6– निविदादाता किसी एक अथवा समस्त कार्यो की निविदा डाल सकता है।

7– निविदादाता को समस्त प्रपत्र कार्यालय में जमा करने होगें। ई–टेण्डर के सम्बन्ध में शासन से यदि अन्य कोई निर्णय लिए जाते है तो ठेकेदार को मान्य होगें।

8– कार्य प्रारम्भ की तिथि से एक सप्ताह में श्रम विभाग से श्रमिकों का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में जमानत राशि जब्त कर अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है।

| क्र0 सं0 | कार्य का नाम | अनुमानित लागत (लाख रू0) | 2 प्रतिशत धरोहर राशि (हजार रू0 में) | निविदा आरम्भ/समाप्ति तिथि | निविदां मूल्य | समयावधि |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ग्राम ढिकाना में लुहारी की ओर मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य | 12.66 | 25320 | 23.05.17 से 29.05.17 तक | 750 +VAT(15%) | 15.06.17 |
| 2 | ग्राम हिसावदा में काटें वाले रास्ते पर विशेष मरम्मत कार्य। | 13.61 | 27220 | 23.05.17 से 29.05.17 तक | 750 +VAT(15%) | 15.06.17 |
| 3 | ग्राम शेरपुर लुहारा में सोती–जोगी के मकान से नहर की ओर विशेष मरम्मत कार्य। | 5.60 | 11200 | 23.05.17 से 29.05.17 तक | 750 +VAT(15%) | 15.06.17 |
| 4 | ग्राम सिखैडा में सांकलपुठठी तिराहे से पटौली सम्पर्क मार्ग (स्कूल के पास) तक विशेष मरम्मत कार्य। | 7.73 | 15460 | 23.05.17 से 29.05.17 तक | 750 +VAT(15%) | 15.06.17 |
| 5 | ग्राम सुल्तानपुर हटाना से बिहारीपुर की ओर मार्ग का सामान्य मरम्मत कार्य। | 3.92 | 7840 | 23.05.17 से 29.05.17 तक | 500 +VAT(15%) | 15.06.17 |

(दीपांकर सिंह)
अभियन्ता,
जिला पंचायत,बागपत।

(प्रदीप कुमार सक्सेना)
अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,बागपत।

**कार्यालय जिला पंचायत, बागपत।**

पंत्राकः–104/जि0पं0,बागपत/2017–18, दिनांकः– 20-5-2017

**प्रतिलिपिः–**

1:–सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान/अमर उजाला बागपत को इस आश्य से कि उक्त सूचना अपने आगामी अंक के समाचार पत्र में कम से कम स्थान में शासकीय दरों पर केवल एक बार प्रकाशित कराकर बिल दो प्रतियों में इस कार्यालय में यथा शीघ्र प्रस्तुत कराने का कष्ट करे।

2:–जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, बागपत को इस अनुरोध के साथ कि उक्त निविदां को इन्टरनेट पर प्रकाशित करा दे।

3:–उप जिलाधिकारी, बागपत से अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के पत्र संख्या 156/एस0टी0कैम्प–20, दिनांक 20 अप्रेल, 2017 के कम में आपकी उपस्थिति प्राथनीय है।

अभियन्ता,
जिला पंचायत,बागपत।

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत,बागपत।